

बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

प्रेषक,

कुमार रवीन्द्र, बि०प्र०से०,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना-15, दिनांक-...1.5./5.9./2026.

**** अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित।**

द्वारा :-

**** वित्त विभाग।**

विषय :-

सात निश्चय-3 के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में रुपये 2240.00 लाख (रुपये बाईस करोड़ चालीस लाख) मात्र अनुमानित लागत व्यय पर कॉम्पेड के विभिन्न दुग्ध संघों एवं इकाईयों के अन्तर्गत राज्य के सभी गाँव में प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति के गठन एवं संचालन की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त सात निश्चय-3 के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में रुपये 2240.00 लाख (रुपये बाईस करोड़ चालीस लाख) मात्र अनुमानित लागत व्यय पर कॉम्पेड के विभिन्न दुग्ध संघों एवं इकाईयों के अन्तर्गत राज्य के सभी गाँव में प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति के गठन एवं संचालन की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का विस्तृत व्यय विवरणी संलग्न।

- गव्य विकास, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग का एक महत्वपूर्ण अवयव है एवं राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2008 से ही कृषि रोड मैप के तहत गव्य प्रक्षेत्र के विकास के लिए योजनायें लागू की जा रही हैं, फलस्वरूप राज्य के दुग्ध उत्पादन में भारी बढ़ोत्तरी दर्ज की गयी है। वर्ष 2007 में राज्य का दुग्ध उत्पादन 57.70 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष था जो प्रथम रोड मैप की अवधि 2008-12 में बढ़कर 66.20 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष, द्वितीय रोड मैप 2012-17 में 87.10 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष एवं तृतीय रोड मैप 2017-23 में 125.00 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष पहुँच गया। इस अवधि में राज्य की प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 154 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023-24 के अन्त में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन राष्ट्रीय औसत 471 ग्राम के सापेक्ष 277 ग्राम प्रति व्यक्ति रही। राज्य में दुग्ध उत्पादन में अग्रेतर बढ़ोत्तरी हेतु चतुर्थ कृषि रोड मैप में भी गव्य प्रक्षेत्र को प्राथमिकता दी गयी है एवं ज्यादा से ज्यादा दुग्ध उत्पादकों को संगठित गव्य प्रक्षेत्र से जोड़ने हेतु सात निश्चय-3 के तहत प्रत्येक गाँव में एक प्राथमिक दुग्ध

उत्पादक सहकारी समिति के गठन का संकल्प लिया गया है। बिहार सरकार के सात निश्चय-3 के तहत "प्रत्येक गाँव में दुग्ध उत्पादन समिति का गठन एवं प्रत्येक पंचायत में सुधा बिक्री केन्द्र की स्थापना" के अन्तर्गत राज्य के सभी गाँव में प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति का गठन कॉम्पेड के दुग्ध संघों एवं इकाईयों के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में राज्य में कुल 45,864 गाँव हैं, जिसमें से 21,616 गाँव में दुग्ध उत्पादन सहयोग समितियाँ गठित हैं। इस प्रकार शेष 24,248 गाँव में सात निश्चय योजना-3 के अन्तर्गत समिति गठित की जानी है। इस हेतु वर्ष 2026-27 में 7000 दुग्ध उत्पादन सहयोग समिति का गठन करने की योजना है।

3. हर गाँव समिति खोलने हेतु रणनीति (आवेदन, गठन एवं निबंधन) :-

- (क) समिति गठन की प्रक्रिया में महिला समिति खोलने एवं महिला सदस्य बनाने पर जोर दिया जाएगा तथा महिला रोजगार योजना से लाभान्वित होने वाली महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी।
- (ख) समिति गठन हेतु 22 पृष्ठों का मानक प्रारूप यथा सामान्य सर्वे प्रपत्र, ग्राम सभा का प्रपत्र, आम सभा/संगठन सभा का प्रपत्र, प्रबन्धकारिणी सदस्य बैठक का प्रपत्र संलग्न है।
- (ग) समिति गठन हेतु सभी प्रक्रिया यथा सामान्य सर्वे, ग्रामसभा, आमसभा/संगठन सभा, प्रबन्धकारिणी की बैठक सम्पन्न कराते हुए पूर्ण करेंगे।
- (घ) गठित समिति के सभी पूर्ण रूप से भरे प्रपत्र समिति में संरक्षित रखा जायेगा तथा अभिप्रमाणित छायाप्रति संबंधित संघों को प्रेषित किया जायेगा।
- (ङ) उपरोक्त प्रतिवेदन में ग्रामसभा, आमसभा एवं प्रबन्धकारिणी की बैठक की दिनांक के साथ GEO टैग फोटो के साथ संलग्न करेंगे।
- (च) समिति गठन के पश्चात समिति के निबंधन हेतु आमसभा का प्रस्ताव तैयार कराकर आवश्यक फार्म यथा सदस्यों का घोषणा पत्र, प्रपत्र-1 (नियम-3-1) फार्म-III (नियम-3-5), उपविधि की सच्ची 4 प्रति के साथ निबंधन का दस्तावेज संबंधित प्राधिकार को समर्पित करते हुए समिति का निबंधन कराना सुनिश्चित करेंगे। इस कार्य हेतु किये गए सभी सभाओं का दिनांक के साथ GEO टैग फोटो संलग्न करेंगे।
- (छ) सहकारिता विभाग की भूमिका- समिति के निबंधन हेतु जिला स्तर पर जिला सहकारिता पदाधिकारी/सहायक निबंधक सहयोग समितियाँ को शक्तियाँ प्रदत्त की जायेगी।

4. सभी संघ एवं इकाई अपने-अपने कार्यक्षेत्र में जिलावार, प्रखण्डवार, पंचायतवार, ग्रामवार ऐसे सभी गाँव की सूची तैयार करेंगे जहाँ प्राथमिक दुग्ध उत्पादक समिति नहीं है। संघ/इकाई अपने मानवबल से वहाँ समिति गठन सुनिश्चित करेंगे।
5. इस योजना की प्रतिपूर्ति एवं समीक्षा हेतु जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया जायेगा, जिसमें निम्न पदाधिकारी सम्मिलित होंगे—
 - (i) जिला पशुपालन पदाधिकारी
 - (ii) जिला गव्य विकास पदाधिकारी
 - (iii) जिला पंचायती राज पदाधिकारी
 - (iv) जिला सहकारिता पदाधिकारी
 - (v) संबंधित संघों/इकाई के प्रभारी प्रापण
 टास्क फोर्स प्रत्येक मंगलवार को कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करेंगे।
6. योजना का क्रियान्वयन कॉम्पेड के दुग्ध संघों एवं इकाईयों द्वारा किया जाएगा तथा प्रत्येक ग्राम स्तरीय दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के गठन एवं निबंधन के कार्य का वास्तविक समय पर निगरानी सुधा एप एवं कॉम्पेड के आई०सी०सी०सी० के माध्यम से की जायेगी।
7. समिति गठन/निबंधन से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत कार्य सम्पन्न होने के 15 दिनों के अन्दर जिलास्तरीय प्रथम अपीलीय प्राधिकार के पास किया जा सकता है। जिलास्तरीय प्रथम अपीलीय प्राधिकार के द्वारा शिकायत के निष्पादन किये जाने के पश्चात शिकायतकर्ता 15 दिनों के अन्दर प्रमण्डल स्तरीय द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के पास आवेदन कर सकेंगे।

योजनान्तर्गत लिखित शिकायतों का निष्पादन निम्न अपीलीय प्राधिकार द्वारा किया जायेगा :—

क्र० सं०	प्राधिकार का विवरण	पदाधिकारी का विवरण	कार्य दिवस
1	जिलास्तरीय प्रथम अपीलीय प्राधिकार समिति	कमिटी के सदस्य अध्यक्ष — जिला पशुपालन पदाधिकारी सदस्य — जिला गव्य विकास पदाधिकारी	15 दिवस
2	प्रमण्डल स्तरीय द्वितीय अपीलीय प्राधिकार समिति	कमिटी के सदस्य अध्यक्ष — क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन सदस्य — प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यपालक संबंधित दुग्ध संघ/इकाई	15 दिवस

8. योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु इस में आंशिक संशोधन करने का अधिकार डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के पास निहित होगा।
9. इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर संगठित तरीके से दूध उत्पाद एवं संग्रहण को बढ़ाना, गाँव में ही दूध उत्पादकों को सालों भर दूध का उचित मूल्य एवं नियमित भुगतान सुनिश्चित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं एवं महिलाओं के

लिए रोजगार के अवसर का सृजन, दूध सहकारी समितियों के माध्यम से महिलाओं के भागीदारी को बढ़ावा देना, बिचौलियों की भूमिका कम कर दुग्ध उत्पादकों का सीधे डेयरी संघ से जुड़ाव करना है। उक्त योजना के स्वीकृति उपरांत सभी गाँव में दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति का गठन वित्तीय वर्ष 2026-27 के अन्त तक पूर्ण हो जाएगा, जिससे राज्य के सभी पशुपालकों एवं डेयरी उद्यमी को दूध के निष्पादन हेतु स्थानीय स्तर पर ही बाजार उपलब्ध होगा एवं उन्हें रोजगार के साथ-साथ उनकी आय में भी वृद्धि होगी।

10. इस योजना का क्रियान्वयन कॉम्फेड, पटना द्वारा किया जायेगा।
11. इस योजना के तहत स्वीकृत राशि की निकासी निदेशक, गव्य अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे। निदेशक, गव्य सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
12. इस योजना अंतर्गत सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से स्वीकृत राशि की निकासी कर निदेशक, गव्य द्वारा एकमुस्त कॉम्फेड, पटना के पी०एल० खाता में हस्तान्तरित किया जायेगा एवं उक्त राशि पी०एल० खाता के माध्यम से कॉम्फेड, पटना द्वारा व्यय किया जायेगा।
13. मुख्य शीर्ष-2404 -डेरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-00 -लघु शीर्ष-102 -डेरी विकास परियोजनाएँ, मांग संख्या-02, उप शीर्ष-0119 -आधुनिक तकनीकों से डेयरी का समग्र विकास, प्रसंस्करण एवं विपणन तंत्र सुदृढीकरण सात निश्चय-3, विपत्र कोड 02-2404001020119, विषय शीर्ष-0119.31.05 -सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण मद से विकलनीय होगा।
14. निदेशक, गव्य का यह भी दायित्व होगा कि वित्त विभागीय संकल्प-573, दिनांक-16.01.1975 एवं एम०-04-15/ 2009-9736 वि०-2, दिनांक-19.10.2011 के अनुसार सहायक अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र राज्यादेश निर्गत होने की तिथि से 18 माह के अन्दर विभाग एवं महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, पटना के कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय को स्वीकृत राशि के अन्तर्गत सीमित रखा जायेगा।
15. दिनांक-12.08.2026 को सम्पन्न विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में प्रस्तावित स्कीम की स्वीकृति प्रदान की गयी है। संचिका सं०-6 एस०एस०(6) 78/2026 के पृष्ठ 44-43/प०.
16. चूँकि यह योजना सात निश्चय-3 अन्तर्गत एक नई योजना है। योजना का लागत मूल्य रुपये 15.00 करोड़ से अधिक एवं 30.00 करोड़ से कम है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प-12888, दिनांक-03.12.2024 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में माननीय विभागीय मंत्री एवं वित्त मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका सं०-6 एस०एस०(6)78/2026 के पृष्ठ-11/टि०, दिनांक-24.08.2026 एवं पृष्ठ-15/टि०, दिनांक-07.09.2026.

17. चालू वित्तीय वर्ष में, इस योजना में राशि का नियमानुसार व्यय, राज्य स्कीम अंतर्गत प्रस्तावित विपत्र कोड अंतर्गत संगत विषय शीर्ष में उपबंधित राशि के अधीन किया जायेगा।
18. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। सं०सं०-6 एस०एस०(6)78/2026 के पृष्ठ-11/टि० तथा डायरी सं०-573, दिनांक-19.08.2026.
19. वित्त विभागीय पत्र संख्या-7355 दिनांक-05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन

(कुमार रवीन्द्र)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)78/2026-4940 /पटना-15, दिनांक-10/09/2026.

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के साथ वित्त विभाग (योजना शाखा/बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)78/2026-4940 /पटना-15, दिनांक-10/09/2026.

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के साथ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)78/2026-4940 /पटना-15, दिनांक-10/09/2026.

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के साथ प्रबंध निदेशक, कॉम्पेड, पटना/निदेशक, गव्य, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)78/2026-4940 /पटना-15, दिनांक-10/09/2026.

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के साथ गव्य निदेशालय के बजट शाखा/योजना शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)78/2026- 4940 /पटना-15, दिनांक-...10.../09.../2026.

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के साथ मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/योजना शाखा-06 के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :-6 एस०एस०(6)78/2026- 4940 /पटना-15, दिनांक-...10.../09.../2026.

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के साथ विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/महालेखाकार, लेखा परीक्षा, महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :-6 एस०एस०(6)78/2026- 4940 /पटना-15, दिनांक-...10.../09.../2026.

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के साथ आई० टी० मैनेजर, विभागीय कम्प्यूटर कोषांग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

व्यय विवरणी

सात निश्चय-3 के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में रुपये 2240.00 लाख (रुपये बाईस करोड़ चालीस लाख) मात्र अनुमानित लागत व्यय पर कॉम्पेड के विभिन्न दुग्ध संघों एवं इकाईयों के अन्तर्गत राज्य के सभी गाँव में प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति के गठन एवं संचालन की स्वीकृति :-

विपत्र कोड 02-2404001020119, विषय शीर्ष-0119.31.05 -सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण मद।

(राशि लाख में)

क्र० सं०	विवरणी	इकाई दर	2026-27		निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार
			भौतिक	वित्तीय		
1	2	3	4	5	6	7
1	नये दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का गठन	0.32	7,000	2240.00	निदेशक, गव्य या इनके द्वारा प्राधिकृत/नामित पदाधिकारी	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना
योग :-				2240.00		

(रुपये बाईस करोड़ चालीस लाख) मात्र।

सरकार के संयुक्त सचिव

4940
10/09/26